Tender Form Rate 1000/-

TENDER DOCUMENT
निविदा दस्तावेज

FOR THE WORK
कार्य हेतु

वनगश्ती हेतु चार पहिया वाहनों की सेवा हेतु

कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या **[2025_MPFD_435407_1]** /ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 07 /07 /2025

1. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	विवरण	स्पेशिफिकेशन	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1.	वनमण्डल अंतर्गत 10 वन परिक्षेत्रों हेतु किराये से चार पहिया वाहन वन सुरक्षा गश्ती कार्य हेतु	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	18,000/- प्रतिवाहन	1,000/-

- निविदा दस्तावेज़ से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 09/07/2025 Time 10:30 Pm बजे से दिनांक 29/07/2025 Time 06:00 Pm बजे तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते है।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्त्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 25 /07 /2025 समय 04:00 Pm को डिण्डौरी सामान्य वनमण्डल कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस **Vehicle Rent Pre-Bid-Meeting** Friday, July 25 · 4:00 – 5:00pm Time zone: Asia/Kolkata Google Meet joining info Video call link: **https://meet.google.com/ceq-rquj-gfb** के माध्यम से भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें जिन्होंने ई-टेंडर फॉर्म खरीदे हैं।
- **ई-निविदा आमंत्रण सूचना** में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलः https://www.mptenders.gov.in/

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

खंड-II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	डिण्डौरी वनमण्डल वन सुरक्षा कार्यो के गश्ती कार्यो हेतु मासिक किराया दर की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	[2025_MPFD_435407_1]
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	18,000/- प्रतिवाहन
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	10,000/- प्रति परिक्षेत्र
7	अनुमानित निविदा मूल्य	60,00,000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	25/07/2025 04:00 PM
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	29/07/2025 06:00 PM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	31/07/2025 12:00 PM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	01/08/2025 12:00 PM
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/ पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।

3. वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी

के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

P. Son

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

ई–निविदा सूचना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

- ❖ निविदा प्रपत्र राशि ₹1000/– **(राशि रू. एक हजार मात्र)** का ऑनलाईन भुगतान कर 09/07/2025 को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 29/07/2025 को सांय 06:00 बजे तक https://mptenders.gov.in के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदायें दिनॉक 29/07/2025 को सांय 06:00 तक ऑनलाईन जमा की जा सकेंगी।
- ❖ निविदा हेतु सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा निविदा प्रतिभूति राशि को ऑनलाईन जमा करने के उपरांत उसकी छायाप्रति तकनीकी बिड खोले जाने के 01 दिवस पूर्व दिनांक 29/07/2025 को सांय 05:30 तक कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के भण्डार कक्ष में जमा किये जा सकेंगे। अंतिम तिथी एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनॉक 31/07/2025 एवं वित्तीय बिड (Price-bid) दिनांक 01/08/2025 को दोपहर 12:00 बजे खोली जायेगी।
- ❖ यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथी को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।
- ❖ निविदा पूर्व सम्मेलन (Pre-bid Conference) दिनॉक 25/07/2025 को कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल में दोपहर 04:00 बजे से आयोजित की जायेगी जिसमें निविदा में भाग लेने वाले सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जारी निविदा के संबंध में चर्चा की जायेगी।
- ❖ वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
- ❖ निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी https://mptenders.gov.in/ पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

ई–टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स/कम्पनियों/संस्थानों को सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीयन https://https://mptenders.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसके आधार पर निविदाकार द्वारा वनमण्डल डिण्डौरी की ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात निविदाकार म.प्र. शासन के किसी भी ई–निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।

2. ई–पेमेंट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।

3. निविदा प्रतिभूति राशि जो निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के पक्ष में जमा करना होगा । जो 01 वर्ष की लॉक–इन अवधि हेतु स्वीकृत होगी।

4. निविदाकार वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पोर्टल पर लॉग–इन करके अमानत राशि जमा करके ई निविदा में भाग ले सकेंगे। निविदाकार स्वयं यह आश्वस्त कर ले कि वह ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।

निविदा की शर्ते

<u>भाग 1 – कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण</u>

1. कार्यात्मक आवश्यकतायें :–

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा एक वर्ष के लिये मासिक आधार पर 10 किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु <u>ई–टेंडरिंग प्रणाली</u> से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
- अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढोत्री की जा सकती है तदनुसार अनुबंधकर्ता को अनुबंध की शर्तों तथा दरों के अनुरूप ही वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे।
- अनुबंध होने के उपरांत अनुबंधित संस्था/निविदाकार द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को उपलब्ध कराये गये वाहन किसी अन्य को किराये पर उपलब्ध (Sublet) नहीं कराये जावेंगे।
- मासिक आधार पर वाहन की दर 2000 से 2500 किमी (ईधन एवं वाहन चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर दी जावे।

2. तकनीकी आवश्यकतायें :–

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त निविदाकार (Bidders) को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य कर दिया जावेगा :–

1- निविदा प्रतिभूति राशि **18,000/– (रू. अठारह हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। यह राशि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के नाम से देय हागी।

2- निविदाकार (Bidders) को किसी शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है (इस हेतु मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।

3- निविदाकार द्वारा (Bidders) आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

4- निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) संबधी पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

5- वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

6- निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।

भाग 2 – अन्य सामान्य शर्ते

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का माडल दिनांक 01.01.2022 से पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन में जी.पी.एस.(जीपीएस) उपकरण का होना अनिवार्य है।
3. वाहन में Front & Rear कैमरे गश्ती के दौरान घटनाओ को Capture करने के लिये लगा होना अनिवार्य है। जिसकी स्टोरेज क्षमता न्यूनतम 1TB हों।
4. किराये की अवधि में वाहन में ईधन प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।
5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन में आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कल–पुर्जे (Spare Parts) यथा फेन बेल्ट, स्टेपनी–व्हील, बल्ब ,फयूजेज ,जैक ,स्टैन्डर्ड टूल्स ,फर्स्ट–एड बॉक्स आदि सदैव उपलब्ध रखना होगा।
6. वाहन स्वचालित (Self start) होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये के टायर–टयूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू एवं शून्य त्रुटि का होना अनिवार्य है, इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। मासिक दर के आधार पर वाहन को एक दिवस के लिए सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जावेगी कि इसके स्थान पर अन्य वाहन, वाहन प्रदाता द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को उपलब्ध कराया जावेगा।
7. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन चालक के माध्यम से वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, समस्त करों की भुगतान रसीदें, व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति भण्डार शाखा में एवं एक प्रति हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन चालक को बदलने की स्थिति में सूचना मय आवश्यक कागजात के वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं भण्डार को देना आवश्यक होगा।
8. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
9. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को समान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
10. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जब्त की जा सकेगी और आने वाले 1 वर्ष के लिए वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
11. माईलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी।

12. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।

13. बीओक्यू में उल्लेखित 24X7 के मासिक रूप से वाहन उपलब्धता में वाहन प्रदायकर्ता को समस्य शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक चालक भेजना आवश्यक होगा। चालक/वैकल्पिक चालक की अनुपस्थिति पर कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा राशि रू. 1000/- प्रतिदिन के मान से कटोत्रा देयक में से किया जावेगा।

सफल अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन चालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–

1. यात्रा वाहन चालक अनुभवी एवं शारीरिक रूप से सक्षम (Fit) होना चाहिये। वाहन चालक की eyesight तथा reflexes उत्तम होना चाहिये।
2. वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार नम्बर होना अनिवार्य है।
3. वाहन चालक को डिण्डौरी शहर के मार्गो, स्थानों एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों की स्थिति का समुचित ज्ञान होना चाहिये। यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें।
4. वाहन प्रदाता को हर समय वाहन चालक को कार्य करने के लिए तैयार रहने का आदेश देना आवश्यक है।
5. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नही होगा। वाहन चालक हेतु अन्य वैधानिक पंजीयन कराना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।
6. वाहन चालक की ड्यूटी 24X7 के मासिक रूप में संबंधित अधिकारी के आधीन होगी। वाहन संबंधित अधिकारी के निवास पर रहेगा, वाहन रखने की जगह न होने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता/संस्था वाहन रखने की व्यवस्था स्वयं करेगी।
7. वाहन की समय–समय पर सर्विसिंग, रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्था एवं वाहन चालक की होगी।
8. वाहन चालक वाहन उपयोगकर्ता के प्रति विनम्र होगा एवं डयूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनेगा साथ ही पान , बीडी–सिगरेट , शराब एवं तम्बाकू का सेवन नहीं करेगा।
9. वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।
10. वाहन चालक को सडक यातायात नियम/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सडक यातायात नियमों को तोडने की स्थिति में होने वाले आर्थिक–दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का वाहन अनुबंधकर्ता को ही किया जाना होगा।
11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी या वाहन प्रभारी से प्रतिदिन माइलोमीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग–बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग–बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. वाहन चालक को नियमों–अधिनियमों के तहत पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा किया जावेगा।
13. विभाग की आवश्यकता अनुसार वाहन चालक को वाहन समयावधि से अधिक एवं जिले से बाहर भी चलाना पड़ सकता है। मांग किए जाने के एक घंटे के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा।
14. निविदाकर्ता को समस्त संवैधानिक बंधनों (Obligations) यथा अनुबंध श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , सेवा कर अधिनियम, Minimum wages Act एवं अन्य प्रभावशील अधिनियम जो अनुबंध के समय प्रचलित हैं तथा जो भविष्य में प्रभावशील होंगे उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।
15. सफल निविदाकार के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिये न सिर्फ अनुबंधकर्ता बल्कि अनुबंधकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि (वाहन चालक सहित) भी जिम्मेदार होंगे।

16. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता या वाहन चालक द्वारा दुर्घटना के संबध में भंडार शाखा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी को तत्काल अवगत कराया जावेगा।

17. अनुबंधकर्ता अपनी जोखिम पर वाहनों का प्रचालन करेगा। वाहनों के प्रचालन करते हुये वाहन या व्यक्ति (Travelling) के साथ होने वाली घटना/दुघर्टना के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

18. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

19. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के पास सुरक्षित रहेगा।

20. सफल निविदाकर्ता L1 के द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित वाहनों में से आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन की मांग मासिक पर कार्यालय द्वारा किये जाने पर उस वाहन को उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को कार्यालय अन्य संस्थाओं से किराये पर लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

21. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र–भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यक़ता/मांग अनुसार मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं। वाहन आवश्यकतानुसार डिण्डौरी से बाहर भी सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।

22. उन्हीं निविदाकारों की निविदायें मान्य की जायेंगी, जो किराये के वाहनों का व्यवसाय करते हों। वाहनों को किराये पर मुख्यतः मासिक आधार पर लिया जायेगा।

22.1 निविदायें न्यूनतम 2000 से 2500 कि.मी. प्रतिमाह मासिक आधार पर वाहन किराये की दरें आमंत्रित की जा रही हैं उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी प्रपत्र 1, 2, 3, एवं 4 के रूप में संलग्न है। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे, अन्यथा आपकी निविदा पर विचार किया जाये अथवा नहीं यह अधिकार कार्यालय को होगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित होंगे, उन आवंटित वाहनों का उपयोग मुख्यालय से बाहर भी शासकीय भ्रमण हेतु किया जावेगा।

22.2 मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित वाहनों के द्वारा किये जाने वाले शासकीय भ्रमणों के देयकों का भुगतान 2000 से 2500 कि.मी. की सीमा के उपरांत ही मासिक आधार पर किया जावेगा।

23. मान्य दरें आगामी 01 वर्ष के लिए लागू रहेंगी। अनुबंध की अवधि को कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा आपसी सहमति से 01 वर्ष हेतु बढायी जा सकेगी।

24. शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल–टैक्स आदि का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिभूति की जायेगी।

25. नियमों के अनुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. (Tax Deduction at Source) की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

26. वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन रहेगा।

भाग 3:— वित्तीय विनिर्देश

3. **निविदा प्रक्रिया**— **निविदा प्रपत्र का मूल्य**— निविदा फार्म, शर्ते एवं प्रपत्र की प्रति मध्यप्रदेश ई—प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://https://mptenders.gov.in/ एवं विभागीय वेब साईट https://www.mpforest.gov.in से दिनांक / /**2025** से दिनांक / /**2025** तक समय शाम 06:00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा दस्तावेज शुल्क **रु. 1000/— (एक हजार रुपये मात्र)** ई—भुगतान के रूप में मध्यप्रदेशई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/ में जमा करना आवश्यक है।

3.1 **निविदा दस्तावेज**— निविदाकार को निविदा में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

1. प्रपत्र — 1 सूचना पत्र।
2. प्रपत्र — 2 घोषणा पत्र ।
3. प्रपत्र — 3 निविदा प्रतिभूति राशि की जमा रसीद।
4. प्रपत्र — 4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र ।
5. प्रपत्र — 5 निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी ।
6. प्रपत्र — 6 निविदाकार द्वारा वाहन प्रदाय की जाने वाली वाहनों की जानकारी ।

(जिन दस्तावेजों को स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, उन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एवं निविदा प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करने की पावती कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी की भण्डार शाखा में जमा करना होगा। तकनीकी बिड खोले जाते समय संस्था या प्रतिनिधि मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों सकते है, ताकि मूल दस्तावेजों का मिलान करते हुये सत्यापन किया जा सके)

3.2 **वित्तीय बिड :—** निविदा हेतु वित्तीय बिड (Price Bid) में बीओक्यू के अनुसार मासिक आधार पर दरें प्रस्तुत करनी होगी।

निविदाकार को निविदा से संबधित अभिलेख को ऑनलाइन जमा करना होगा, साथ ही अंतर्गत चाहे गये दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के भंडार कक्ष में जमा करने होंगे।

3.3 **निविदा प्रक्रिया का निरसन** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रों की राशि वापस नहीं की जायेगी।

3.4 **निविदा प्रतिभूति राशि** — निविदा प्रतिभूति राशि **18,000/— (रूपये अठारह हजार मात्र)** को वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के नाम **दिनांक / /2025 को 06:00 बजे** तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

3.5 **निविदाओं का मूल्यांकन** – ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त निविदा की **तकनीकी बिड प्रपत्र–अ–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6** में संलग्न दस्तावेजों का वनमण्डल में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध निविदाकारों की प्राईस बिड (Price Bid) ऑनलाईन खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः निविदाकार को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का E-mail पता आवश्यक रूप से अंकित करे ।

4. **निविदाकारों की अर्हतायें** – 4.1 **तकनीकी प्रस्ताव** –

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत निविदा में तकनीकी बिड के अन्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

1. निविदाकर्ता को परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व/भागीदारी/कम्पनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। निविदाकार के एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।
2. वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।
3. निविदा प्रतिभूति राशि 18,000/– (रू. अठारह हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज।
4. शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
5. निविदाकार (Bidders) को आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।
6. निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु Goods & Sarvice Tax हेतु पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।
7. निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।

4.2 **वित्तीय प्रस्ताव** – निविदाकर्ता द्वारा निविदा में घोषित राशि में निविदा कार्यो के सम्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के डयूटी रोस्टर, लेबर, पंजीयन शुल्क, विभिन्न प्रकार के समस्त कर इत्यादि सम्मिलित होंगे। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय द्वारा देय नही होगा। मासिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दरों में डीजल,वाहन चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रकार के अन्य प्रचलित कर सम्मिलित होंगे

4.3 **हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा** – निविदाकर्ता को निविदा की शर्तो एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4.4 **निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि** – अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। 01 वर्ष पश्चात् यदि सेवाऐं सफलतापूर्वक कार्य अनुरूप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनो पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष के लिए समस्त शर्तो पर अनुबंध बढाया जा सकता है।

6.4 **सेवाएं एवं वारंटी** – कार्य स्थल पर निविदाकार तथा उसके कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओ का सेवन नही करेगें तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरूद्ध आर्थिक दण्ड ,संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने संबधी पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को होगा।

6.5 **पेनाल्टी** – यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन के साथ उपस्थित नहीं होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस माह के देयक से रू. 1000 प्रति दिवस की दाण्डिक कटौती की जाएगी एवं कार्यालय में मासिक दर पर लगाए गए वाहन के निरीक्षण/आंकलन के दौरान वाहन ठीक हालत में न पाए जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रूप में काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

6.6 **अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन** – निविदाकार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्लघंन करने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाने एवं गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, इसका पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को होगा।

6.7 वनमण्डलाधिकारी कार्यालय परिसर में सफल निविदाकार के अनुबंधित वाहनों की अवकाश वाले दिवस एवं रात्रि में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। डयूटी टाईम पूरा होने के पश्चात अनुबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास पर रखे जायेंगे निवास पर स्थान न होने की स्थिति में फर्म द्वारा स्वयं वाहन के रखने की व्यवस्था की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर में वाहन नहीं रखा जायेगा। अनुबंधित वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था निविदाकार की होगी उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर निविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

6.8 कार्यालय परिसर में अनुबंधित वाहन चालकों का अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।

6.9 वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध में जो दरें अनुमोदित होंगी, उन दरों पर अन्य अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से आपवादिक परिस्थिति में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु सफल निविदाकर्ता को लिखित में सहमति देनी होगी।

7. **भुगतान** – अनुबंधकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 10–15 तारीख तक किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या के मान से वाहन उपयोगकर्ता के द्वारा देयक एवं लॉग–बुक प्रमाणित करा कर देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय

द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक खाता (अकाउंट) जो NPCI में लिंक हो में आधार बेस भुगतान किया जायेगा।

8. **<u>विवाद का निराकरण</u>**– किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण डिण्डौरी स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डलाधिकारी

(संस्था के लेटर–हेड पर)

प्रपत्र–1

//सूचना पत्र//

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनण्डल डिण्डौरी

विषय – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा के संबंध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र .... में प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों मासिक एवं दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई हैं। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं :–

1- आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति ।

2- निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।

3- शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी) प्रमाणपत्र।

4- वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods & Sarvice Tax) के रूप में पंजीकरण की प्रति ।

5- वैध बैंक खाते एवं आधार के ब्यौरे ।

6- वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज।

दिनांक : .... हस्ताक्षर : ....

स्थानः .... फर्म का नाम :...

E-Mail . ...

(संस्था के लेटर–हेड पर)

प्रपत्र – 2

//घोषणा पत्र//

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम .... .भारत का/के नागरिक हूं/हैं। (आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा)।

2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।

3. मुझे/हमें मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यो के लिए म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

4. मै/हम किसी ऐसे ठेकेदार जो कि, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो के ना तो अभिकर्ता हूॅ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूं/करते हैं।

5. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।

7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगें।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

फोन एवं मो. नं. ....

E-Mail . ...

प्रपत्र – 3 निविदा प्रतिभूति राशि

कार्य का नाम :– **कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

---00---

निविदा प्रतिभूति राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में निविदा प्रतिभूति राशि/निविदा प्रतिभूति राशि दस्तावेज पर उल्लेख करते हुये रखने हेतु। **अनुबंध हेतु जमा निविदा प्रतिभूति राशि से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर का विवरण :–**

क्र.	ऑनलाईन जमा रसीद क्र.	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	वैधता अवधि

कार्य का नाम : ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक : ....

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

फोन एवं मो. नं. ....

E-Mail . ...

प्रपत्र –4

/निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र/

//सहमति पत्र//

मैं .... पुत्र .... वास्ते फर्म .... आपके कार्यालय द्वारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in/ के माध्यम से जारी निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क्र. 1 से 7 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं (निविदा की शर्तो एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाकर प्रस्तुत) एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

प्रपत्र –5

//निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी//

निविदाकार का नाम :– ....

क्र.	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1.	निविदा प्रतिभूति राशि रू. 18,000/– (रू. अठारह हजार मात्र) को ऑनलाईन जमा किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	
2	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
3	वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods and Sarvice Tax) हेतु पंजीयन की प्रति।	
4	वाहनो का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।	
5	शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र संल्ग्न करें।	
6	निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।	
7	निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।	
8	वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज।	

नोट :– निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी म.प्र. को होगा।

निविदाकार का नाम : ....

हस्ताक्षर .... दिनांक ....

फोन नं. .... मोबाइल ....

ई–मेल ....

प्रपत्र – 6

मै/... पिता .... पता .... प्रोपाईटर मेसर्स .... आपके कार्यालय की निविदा क्रमांक .... में सफल होने पर मेरे द्वारा निविदा अनुसार वन गश्ती कार्य हेतु निम्नानुसार वाहन प्रदाय करूंगा।

वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल वर्ष	निविदा दिनांक तक वाहन द्वारा तय की गई दूरी	वाहन का स्वामित्व

हस्ताक्षर वाहन मालिक/एजेंसी मय मुद्रा

Validate | Print | Help | Wise BoQ

Tender Inviting Authority: कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

Name of Work: वन सुरक्षा कार्यो के गश्ती कार्यो हेतु मासिक किराया दर की निविदा

Contract No: 07644-234400

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Estimated Rate in Rs. P	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST (If applicable in Percentage)	GST Amount in Rs. P	TOTAL AMOUNT excluding taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT including taxes Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	वन गश्ती कार्य हेतु मासिक किराये पर वाहन										
1.01	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Dindori	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Amarpur	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	North Samnapur	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Shahpura	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.05	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Shahpur	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.06	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Mehandwani	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.07	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	West Karanjiya	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.08	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	East Karanjiya	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	Bajag	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.1	वाहन का प्रकार (बोलेरों) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2022 के बाद का होना चाहिए	South Samnapur	1.00	वाहन	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures									0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only									